न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 08 / 2023

अपीलान्ट्स	**बनाम**	**रेस्पोडेंट्स**
घनश्यामलाल पुत्र गोरधनराम जाति जाट, निवासी बाला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. श्रीमति शान्ता पत्नी मदनलाल जाति कलाल(टाक) निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
		2. सरपंच,ग्राम पंचायत बाला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2294 जो सरपंच ग्राम पचांयत बाला द्वारा दिनांक 21.04.2016 को स्वीकार किया गया।

1. अपीलान्ट्स की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:: निर्णय :: **दिनांक** 31/07/24

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1129 रकबा 4 बीघा 19 बिस्व, खसरा नम्बर 1133 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी संयुक्त खातेदारी भूमि श्रीमति भंवरी पुत्री नरसिंग, चिरजीलाल, भगवतीप्रसाद पिसरान मांगीलाल, श्रीमति कौशल्या पुत्री मांगीलाल जातियान कलाल(टाक) निवासीगण बाला तहसील बिलाडा की थी। जिसमें संयुक्त खातेदार श्रीमति भंवरी पुत्री नरसिंग, चिरंजीलाल, भगवतीप्रसाद पिसरान मांगीलाल, श्रीमति कौशल्या पुत्री मांगीलाल का 1/3 वां हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है संयुक्त खातेदारी श्रीमति भंवरी, चिरंजीलाल, भगवतीप्रसाद, श्रीमति कौशल्या ने अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि के 1/3 हिस्सा को बैचान करने हेतु अपना आम मुख्त्यार पुखराज पुत्र मुल्तान जाति कलाल निवासी बिलाडा तहसील बिलाडा को दिनांक 20.12.2014 को नियुक्त किया गया। संयुक्त खातेदारी श्रीमति भंवरी, चिरंजीलाल, भगवतीप्रसाद, श्रीमति कौशल्या के आम मुख्त्यार पुखराज ने अपने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अधिकारों का प्रदत्त उपयोग करते हुए भूमि खसरा नम्बर 1129 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1133 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि 1/6 वॉ हिस्सा का बैचान मदनलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति कलाल(टाक) निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द को रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 01.01.2015 को कर दिया। रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.01.2015 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण सं. 2208 दिनांक 01.07.2015 को स्वीकृत किया गया एवं भूमि का कब्जा मदनलाल को सुपुर्द कर दिया गया। ग्राम बाला तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1129 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1133 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में से 1/3 वॉ हिस्सा में से 1/6 वॉ हिस्सा के राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप में मदनलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति कलाल निवासी नाथद्वारा जिला राजसमन्द के नाम से खरीदशुदा खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम बाला तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1129 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1133 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में संयुक्त खातेदार मदनलाल पुत्र मिश्रीलाल का जरिये पैतृक 1/12 वॉ हिस्सा है इस प्रकार संयुक्त खातेदार मदनलाल पुत्र मिश्रीलाल ने अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में से 1/3 वॉ हिस्सा में से 1/6 वॉ हिस्सा तथा अपनी पैतृक खातेदारी भूमि में 1/12 वॉ हिस्सा को बैचान करने हेतु अपना आम मुख्त्यार श्रीमति इन्द्रा पत्नी घनश्यामलाल जाति जाट निवासी बाला तहसील बिलाडा को दिनांक 11.06.2015 को नियुक्त किया गया। संयुक्त खातेदार मदनलाल पुत्र मिश्रीलाल के आम मुख्त्यार श्रीमति इन्द्रा ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए भूमि खसरा नम्बर 1129 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1133 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में अपना खरीदशुदा 1/3 वॉ हिस्सा में से 1/6 वॉ हिस्सा तथा जरिये पैतृक खरीदशुदा 1/3 वॉ हिस्सा में से 1/6 वॉ हिस्सा तथा जरिये पैतृक खातेदारी का 1/12 वॉ हिस्सा का बैचान अपीलाण्ट घनश्यामलाल को रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 03.07.2015 को कर दिया। रजिस्टर्ड बैचाननामा दिंनाक 03.07.2015 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण सं. 2294 भरा गया, जिसमें मदनलाल द्वारा खरीदशुदा भूमि 1/3 वॉ हिस्सा में से 1/6 वॉ हिस्सा का नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत कर दिया, लेकिन हल्का पटवारी ने खातेदार मदनलाल की जरिये पैतृक खातेदारी भूमि के 1/12 वॉ हिस्सा की भूमि के बैचान के नामान्तरकरण को भरा ही नहीं गया एवं बीना कोई दस्तावेजों की जांच किये उस नामान्तरकरण सं. 2294 को स्वीकृत कर दिया, जिससे अपीलाण्ट की खरीदशुदा 1/12 वॉ हिस्सा की भूमि को दर्ज ही नहीं किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत बाला द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 2294 दिनांक 21.04.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलाण्टस की ओर से यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है। कि सरपंच ग्राम पंचायत बाला द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। सरपंच ग्राम पंचायत बाला द्वारा बीना राजस्व रेकर्ड देख तथा बीना सहखातेदारों के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

हिस्से की जांच किये अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में विधिक त्रुटि की गयी है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बीना अपीलाण्टस को नोटिस एंव सुनवायी का अवसर दिये बीना अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की गयी है। संयुक्त खातेदार मदनलाल पुत्र मिश्रीलाल ने अपनी खरीदशुदा तथा अपनी पैतृक खातेदारी भूमि के हिस्से की भूमि का बैचान दिनांक 03.07.2015 को किया गया था, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा मदनलाल की पैतृक खातेदारी भूमि के 1/12 वॉ हिस्से का कोई नामान्तरकरण स्वीकृत किये बीना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में विधिक भूल की गयी है, जो केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। जानकारी की तिथि से अपील अन्दर म्याद पेश है।

अन्तः में अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत बाला द्वारा दिनांक 21.04.2016 का नामान्तरकरण सं. 2294 निरस्त फरमाया जाने का आदेश फरमावें तथा बैचाननामा श्रीमति इन्द्रा बहक घनश्यामलाल दिनांक 03.07.2015 में बैचान किया गया मदनलाल का 1/3 वॉ हिस्सा में से 1/6 वॉ हिस्सा तथा मदनलाल का जरिये पैतृक 1/12 वॉ हिस्सा का पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को फरमाया जावें। अन्य आदेश जो अपीलाण्टस के हित में हो अता फरमावें।

अपीलाण्टस ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत बाला द्वारा दिनांक 21.04.2016 को अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पहले अपीलाण्टस को कोई नोटिस सुनवायी का अवसर नहीं दिया, इस कारण अपीलाण्टस को उस दिन नामान्तरकरण की जानकारी नही हो सकी। अभी दिनांक 16.05.2023 को अपीलाण्टस अपनी खरीदसुदा भूमि पर ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गया और जमाबंदी की नकल देने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी ने अपीलाण्ट को नकल दी गयी अपीलाण्टस ने जमाबंदी में अपना हिस्सा सही दर्ज नही होना पाया तो अपीलाण्टस ने जमाबंदी में अपने हिस्से के बारे में हल्का पटवारी से जानकारी चाही तो हल्का पटवारी ने अपीलाण्ट को रेकर्ड देखकर बताया कि आपका बैचाननामा दिनांक 03.07.2015 को खरीदशुदा भूमि में मात्र 1/6 वॉ हिस्सा का नामान्तरकरण सं. 2294 की नकल देने हेतु हल्का पटवारी को कहा गया तो हल्का पटवारी ने उसी दिन दिनांक 16.05.2023 को नामान्तरकरण सं. 2294 की प्रमाणित नकल दी गयी, तब अपीलाण्ट को नामान्तरकरण सं. 2294 की सम्पूर्ण जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्टस द्वारा की गई नामान्तरकरण सं. 2294 की अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया, रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए, जिन्हें शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेण्टस को उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, बार-बार आवाज दिलवाई गयी लेकिन रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 उपस्थित

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

नही होने से दिनांक 18.07.2023 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील म्यूटेशन सं. 2294 ग्राम बाला को जो कि रेस्पोडेण्ट 2 द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की, उक्त म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट सं. 2 द्वारा खातेदार मदनलाल का जरिये बैचाननामा के आधार पर स्वीकार किया गया। जिसमें अपीलाण्ट्स के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बैचाननामा के जरिये बैचान की गयी भूमि खसरा नम्बर 1129 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1133 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में से बैचानकर्ता के स्वयं के 1/12 वॉ हिस्सा को सम्मिलित नहीं करते हुए उक्त म्यूटेशन अपीलाण्ट के नाम स्वीकृत कर दिया। इसलिए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा स्वीकृत आलौच्य म्यूटेशन संख्या 2294 दिनांक 21.04.2016 आंशिक निरस्त किया जाना उचित है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 2294 दिनांक 21.04.2016 ग्राम बाला को आंशिक निरस्त किया जाता है व तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो ग्राम बाला तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 1129 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1133 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के सम्बंध में रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 03.07.2015 के अनुसार बाद जॉच अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31/07/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा